



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012026-269468
CG-DL-E-20012026-269468

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947

No. 256]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSHA 30, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2026

का.आ. 284(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1791 तारीख 17/04/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के दाहोद जिले में NH-148N के कि.मी. 244.343 से कि.मी.301.315 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का.आ. 1791(अ) दिनांक 17.04.2025 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 19.06.2025 को “ द इंडियन एक्सप्रेस ” और “दिव्य भास्कर ” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के दाहोद जिले में NH-148N के कि.मी. 244+343 से कि.मी. 301+315 (प्रांत अधिकारी एवं उपखंड न्यायाधीश, झालोद) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: दाहोद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: झालोद					
गांव का नाम: आंबा					
1	192/1	निजी	कृषि	0.2638	हठीला खुमानसिंगभाई नागजीभाई हठीला जोखनाभाई नागजीभाई हठीला सामलीबेन लालसिंगभाई की विधवा हठीला नरेंद्रकुमार लालसिंगभाई हठीला आशाबेन लालसिंगभाई हठीला प्रकाशभाई लालसिंगभाई हठीला कल्पेशभाई लालसिंगभाई हठीला राजेशभाई लालसिंगभाई हठीला योगेशभाई लालसिंगभाई
Total				0.2638	

[फा. सं. NHA/PIU-GDA/BM/DVE-GUJ/2018/LA/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2026

S.O. 284(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1791(E) dated 17.04.2025, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening /four-laning etc.), maintenance, management and operation of NH-148N on the stretch of land from Km. 244+343 to Km. 301+315 (Prant Officer and Sub-Divisional Magistrate, Jhalod) in the district of Dahod in the state of GUJARAT.

And whereas the substance of the said notification S.O. 1791 (E) dated 17.04.2025 has been published in “The Indian Express ” and “Divya Bhaskar” both dated 19.06.2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And no Objections were received:

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the NH-148N on the stretch of land from Km. 244+343 to Km. 301+315 (Prant Officer and Sub - Divisional Magistrate, Jhalod) in the district of Dahod in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT			District: Dahod		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jhalod					
Village: Aamba					
1	192/1	Private	Agriculture	0.2638	Hathila Khumansingbhai Nagjibhai Hathila Jokhanabhai Nagjibhai Hathila Samliben Window of Lalsingbhai Hathila Narendrakumar Lalsingbhai Hathila Ashaben Lalsingbhai Hathila Prakashbhai Lalsingbhai Hathila Kalpeshbhai Lalsingbhai Hathila Rajeshbhai Lalsingbhai Hathila Yogeshbhai Lalsingbhai
Total				0.2638	

[F. No. NHAI/PIU-GDA/BM/DVE-GUJ/2018/LA/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director